भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/313

विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.232/20-16-003/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2025

विषय सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 3

अध्याय II - इरादतन चूककर्ताओं का निर्वाहन 4

अध्याय III - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग 5

अध्याय IV - निरसन और अन्य प्रावधान 8

अनुबंध I - बड़े चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने का प्रारूप 10

परिचय

इन निदेशों का उद्देश्य इरादतन चूककर्ताओं की क्रेडिट संबंधी जानकारी का प्रसार करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना भी है ताकि ऋणदाताओं को आगाह किया जा सके और सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आगे संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाए।

तदनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और धारा 56 के साथ पठित 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; और क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अनुसार, रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, एतद द्वारा, आगे निर्दिष्ट ये निर्देश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता

(1) ये ग्रामीण सहकारी बैंक (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'आरसीबी/यों ' और व्यक्तिगत रूप से 'आरसीबी' कहा जाएगा) पर लागू होंगे।

इस संदर्भ में, ग्रामीण सहकारी बैंकों का आशय राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों से होगा, जैसा कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 में परिभाषित किया गया है।

(2) इरादतन चूककर्ताओं के लिए आगे की वित्तीय सुविधा पर प्रतिबंध और बड़े चूककर्ताओं के संबंध में प्रावधान, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाओं पर लागू होंगे, भले ही वे इन निदेशों में दिए गए 'ऋणदाता' की परिभाषा के अंतर्गत आते हों या नहीं।

3. परिभाषाएं

(1) इन निदेशों में प्रयुक्त सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं का निर्वाहन) निदेश, 2025 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या क्रेडिट सूचना कंपनियां

(विनियमन) अधिनियम, 2005, या कंपनी अधिनियम, 2013, या किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली या वाणिज्यिक बोलचाल में प्रयुक्त, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत दिया गया है।

(4) **इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक एवं अन्य उपाय** –

(1) किसी भी ऋणदाता द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले के रूप में वर्गीकृत किसी भी व्यक्ति/संस्था के मामले में निम्न उल्लिखित दंडात्मक उपाय आरसीबी द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे :

(i) आरसीबी द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति या ऐसी किसी संस्था को कोई अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी जिसके साथ इरादतन ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है ।

(ii) ऋणदाताओं द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति या ऐसी किसी संस्था जिसके साथ वह व्यक्ति जुड़ा हुआ है, को अतिरिक्त ऋण सुविधा देने पर प्रतिबंध, इरादतन ऋण न चुकाने वालों की सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा दिए जाने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

(iii) आरसीबी द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य संस्था, जिसके साथ इरादतन ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति संबद्ध है, को नए उद्यम शुरू करने के लिए कोई ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी, जब तक कि ऋणदाताओं द्वारा इरादतन ऋण न चुकाने वालों की सूची से उसका नाम हटाए जाने के बाद पांच वर्ष की अवधि पूरी न हो जाए।

(iv) इरादतन ऋण न चुकाने वालों या किसी ऐसी संस्था का पुनर्गठन, जिसके साथ इरादतन ऋण न चुकाने वाला व्यक्ति जुड़ा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक (ग्रामीण सहकारी बैंक - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 में निहित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

बशर्ते उपर्युक्त दंडात्मक प्रावधान संबद्ध संस्थाओं पर तब लागू नहीं होंगे जब वे इरादतन चूककर्ताओं के साथ संबद्ध नहीं रहेंगे।

स्पष्टीकरण 1 : यदि इरादतन चूककर्ता कंपनी है, तो एक अन्य कंपनी को उसके साथ संबद्ध माना जाएगा, यदि वह कंपनी -

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2 (87) के तहत परिभाषित एक 'सहायक कंपनी' है।

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (6) के तहत 'संयुक्त उद्यम' या 'सहयोगी कंपनी' की परिभाषा के अंतर्गत आती है।

स्पष्टीकरण 2 : यदि इरादतन चूककर्ता एक प्राकृतिक व्यक्ति है तो सभी संस्थाएं, जिनमें वह प्रवर्तक या निदेशक के रूप में या संस्था के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार के रूप में संलग्न है, संबद्ध मानी जाएंगी।

अध्याय III – इरादतन चूककर्ताओं और बड़े चूककर्ताओं की रिपोर्टिंग

5. बड़े चूककर्ताओं की क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग और प्रसार

(1) आरसीबी द्वारा बड़े चूककर्ताओं के बारें में सभी क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को मासिक अंतराल पर अनुबंध । में दी गई जानकारी प्रस्तुत की जाएगी:

(i) बड़े चूककर्ताओं के विरुद्ध दाखिल वाद खातों की सूची; और

(ii) बड़े चूककर्ताओं के गैर-मुकदमा दाखिल खातों की सूची, जिनके खाते को संदिग्ध या हानि खाते के रूप में वर्गीकृत किया गया है (रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार)।

(2) ₹1 करोड़ की सीमा की गणना के लिए, अप्रयुक्त ब्याज, यदि कोई हो, को भी शामिल किया जाएगा। वाद-दाखिल किए गए खातों के मामले में, सीमा उस राशि से संबंधित होगी जिसके लिए वाद दाखिल किया गया है।

6. उन खातों का निर्वाहन जिनका समाधान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेश दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) / समाधान ढांचे के तहत किया जाता है

(1) पैरा 4 में वर्णित दंडात्मक उपाय, आईबीसी या रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा निदेशों के अंतर्गत, स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित समाधान योजना के कार्यान्वयन के बाद ऐसी संस्थाओं/व्यावसायिक उद्यमों पर लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण : रिज़र्व बैंक द्वारा जारी समाधान रूपरेखा निदेशों का तात्पर्य निम्नलिखित में से किसी भी निदेश से होगा:

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ – निदेश का समाधान) निदेश

(2) पैरा 4 (ii) और (iii) में वर्णित दंडात्मक उपाय पूर्ववर्ती प्रवर्तक (प्रवर्तकों) / निदेशक (निदेशकों) / गारंटर (गारंटरों) / उन व्यक्तियों पर लागू होते रहेंगे जो संस्था/ व्यावसायिक उद्यम के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार थे, और उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जो प्रवर्तक या निदेशक के रूप में या इसके प्रबंधन के लिए प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में संबद्ध हैं।

7. सही रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी

(1) सही जानकारी देने तथा तथ्यों और आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रिपोर्टिंग आरसीबी की है।

(2) आरसीबी को क्रेडिट सूचना कंपनियों को सूचना प्रदान करते समय निदेशकों के विवरण की सटीकता सुनिश्चित करनी होगी तथा यथासंभव, कंपनी रजिस्ट्रार के डाटाबेस से क्रॉस-चेकिंग करनी होगी।

8. गारंटरों की रिपोर्टिंग

आरसीबी द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों को उन गारंटरों का विवरण प्रेषित करना होगा जो अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहे हैं और जिन्हें बड़े चूककर्ता के रूप में, जैसा भी मामला हो, घोषित किया गया है। इसका विवरण अनुबंध। के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

9. निवारक उपाय

(1) क्रेडिट मूल्यांकन

(i) क्रेडिट मूल्यांकन करते समय, आरसीबी को यह सत्यापित करना होगा कि क्या कंपनी के किसी निदेशक / गारंटर / संस्था के मामलों के प्रबंधन के प्रभारी व्यक्ति का नाम डीआईएन / पैन आदि के संदर्भ में बड़े चूककर्ता/ एलडब्ल्यूडी की सूची में शामिल है।

(ii) समान नामों के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी संदेह के मामले में, आरसीबी, उधार लेने वाली कंपनी से घोषणा मांगने के स्थान पर निदेशकों की पहचान की पुष्टि के लिए स्वतंत्र स्रोतों का उपयोग करेगा।

(2) निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी

(i) आरसीबी निधियों के अंतिम उपयोग की बारीकी से निगरानी करेगा और उधारकर्ताओं से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा कि निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए निधियाँ प्राप्त की गई थी। उधारकर्ताओं द्वारा गलत प्रमाणीकरण के मामले में, आरसीबी

उधारकर्ताओं के विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही, जिसमें आवश्यकतानुसार आपराधिक कार्यवाही भी शामिल है, प्रारम्भ करने पर विचार करेगा।

(ii) आरसीबी द्वारा निधियों के अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक शर्तें और संबंधित उचित उपाय उसके ऋण नीति दस्तावेज़ का हिस्सा होंगे। आरसीबी द्वारा निधियों के निगरानी और अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपायों की उदाहरणात्मक सूची इस प्रकार है:

(ए) उधारकर्ताओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट / परिचालन विवरण / तुलन पत्र की सार्थक जांच;

(बी)आरसीबी को सुरक्षा के रूप में दी गई उधारकर्ताओं की आस्तियों का नियमित निरीक्षण;

(सी)उधारकर्ताओं की खाता-बही और अन्य उधारदाताओं के पास रखे गए 'धारणाधिकार-नहीं' खातों की आवधिक जांच;

(डी)सहायता प्राप्त इकाइयों का आवधिक दौरा;

(ई)कार्यशील पूंजी वित्त के मामले में आवधिक स्टॉक ऑडिट प्रणाली;

(एफ) आरसीबी के 'क्रेडिट' कार्य का आवधिक व्यापक प्रबंधन ऑडिट, ताकि उनके क्रेडिट प्रशासन में प्रणालीगत कमियों की पहचान की जा सके।

(iii) आरसीबी को निधियों का अंतिम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर ही निर्भर न रहते हुए अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण को भी मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, सभी मामलों में, विशेष रूप से अल्पकालिक कॉर्पोरेट/बेजमानती (क्लीन) ऋणों के मामले में, इस तरह के दृष्टिकोण को आरसीबी द्वारा स्वयं 'समुचित सावधानी' द्वारा पूरक किया जाना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो, ऐसे ऋण केवल उन्हीं उधारकर्ताओं तक सीमित होने चाहिए जिनकी ईमानदारी और विश्वसनीयता स्पष्ट हो।

अध्याय IV - निरसन और अन्य प्रावधान

10. निरसन और बचाव

(1) इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता के निर्वाहन से संबंधित ग्रामीण सहकारी बैंकों के मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक November 28, 2025 के माध्यम से सूचित किया गया है। उपरोक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध किसी भी निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देशों के माध्यम से पहले से ही निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरसित बने रहेंगे।

(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेश, अनुदेश या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियाँ इन निर्देशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के निरसन से निम्नलिखित पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

(i) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;

(ii) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

(iii) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माने, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है मानो कि इन निर्देशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

11. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

(1) इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

12. व्याख्या

(1) इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, यदि रिज़र्व बैंक आवश्यक समझे, तो इसमें

शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे. पी. शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I – बड़े चूककर्ताओं की सूची प्रस्तुत करने का प्रारूप

₹1 करोड़ और उससे अधिक (वाद दाखिल और गैर-वाद दाखिल खाते) के बड़े चूककर्ताओं की सूची का मासिक आधार पर सभी सीआईसी को प्रस्तुत करने का प्रारूप

फील्ड	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	अधिकतम फील्ड लंबाई	विवरण	टिप्पणी
1.	रिपोर्टिंग साइकिल	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसके लिए डेटा रिपोर्ट किया गया है।	जनवरी 2024 महीने के लिए रिपोर्टिंग चक्र डेटा 'JAN24' के रूप में भरा जाना चाहिए
2.	सदस्य आईडी	अल्फा न्यूमरिक	10	फ़ील्ड में सीआईसी द्वारा निर्दिष्ट रिपोर्टिंग सदस्य कोड शामिल करना आवश्यक है।	इसमें डेटा रिपोर्ट करने वाले सदस्य की आईडी शामिल है
3.	सदस्य का नाम	कैरेक्टर	200	सदस्य का नाम	इसमें उस सदस्य का नाम अवश्य होना चाहिए जो डेटा रिपोर्ट कर रहा है।
4.	सदस्य शाखा	कैरेक्टर	30	सदस्य की शाखा का नाम	शाखा का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।
5.	राज्य	कैरेक्टर	35	राज्य का नाम	उस राज्य का नाम जिसमें शाखा स्थित है।
6.	उधारकर्ता का नाम	अल्फा न्यूमरिक	1000	व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर और गैर-व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 4 अक्षर होनी चाहिए।	उधारकर्ता का कानूनी नाम रिपोर्ट किया जाए।
7.	उधारकर्ता का स्थायी खाता संख्या (पैन)	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	आयकर विभाग द्वारा परिभाषित स्थायी खाता संख्या (पैन)
8.	उधारकर्ता का पता	अल्फा न्यूमरिक	1000	उधारकर्ता का स्थायी पता / पंजीकृत पता	
9.	बकाया राशि	संख्यात्मक	8	संख्यात्मक मान होना चाहिए	बकाया राशि ₹ लाख में (पूर्णांकित)

10.	वाद (सूट) की स्थिति	संख्यात्मक	2	**वैध मान** **01 -** वाद दाखिल **02 –** गैर-वाद दाखिल	वाद दायर किया गया है या नहीं को इंगित करता है।
11।	आस्ति वर्गीकरण	कैरेक्टर	5	वैध मान **गैर-वाद दाखिल खातों के लिए** संदिग्ध खातों के लिए **'DOUBT'** हानि खातों के लिए **'LOSS'** **वाद-दाखिल खातों के लिए** संदिग्ध खातों के लिए 'DOUBT' हानि खातों के लिए 'LOSS' अवमानक खातों के लिए 'SUBST' मानक खातों के लिए 'STD'	आस्ति वर्गीकरण
12.	आस्ति वर्गीकरण तिथि	अल्फा न्यूमरिक	5	वह महीना जिसमें खाते को **'mmmyy'** प्रारूप में **'DOUBT'/ 'LOSS/ SUBSTD/ STD'** के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जहां **mmm** का अभिप्राय महीने के पहले **3** अक्षर हैं। वर्गीकरण की तारीख 'मार्च **2000'** को **'MAR00'** के रूप में भरा जाना चाहिए।	आस्ति वर्गीकरण की तारीख को इंगित करता है
13.	अन्य सदस्य	कैरेक्टर	1000	नाम संक्षिप्त रूप में दिए जा सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बीओबी, भारतीय स्टेट बैंक के लिए एसबीआई आदि।	**अन्य ऋणदाताओं के नाम भी इंगित किए जाने चाहिए जिनसे उधारकर्ता ने ऋण सुविधा प्राप्त की है।**
14.	निदेशक/ प्रवर्तक का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	निदेशक/ प्रवर्तक का नाम।
15.	निदेशक/प्रवर्तक का डीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	8	डीआईएन संख्या की लंबाई 8 होनी चाहिए	निदेशक/ प्रवर्तक का डीआईएन।
16.	निदेशक/प्रवर्तक का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार	निदेशक/ प्रवर्तक का पैन।

				अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	
17.	गारंटर का नाम	कैरेक्टर	1000	नाम की न्यूनतम लंबाई 2 अक्षर होनी चाहिए	गारंटर का पूरा नाम इंगित किया जाना चाहिए।
18.	गारंटर का सीआईएन	अल्फा न्यूमरिक	21	गारंटर इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या	केवल कानूनी इकाइयों के मामले में
19.	गारंटर का पैन	अल्फा न्यूमरिक	10	10 अक्षर होने चाहिए। पहले पांच अक्षर लेटर होने चाहिए, उसके बाद चार अंक और उसके बाद एक लेटर होना चाहिए।	व्यक्तिगत/कानूनी इकाइयों के मामले में

नोट:

- डेटा की रिपोर्टिंग संरचना पंक्ति स्तर पर होगी, जिससे सदस्यों/ऋणदाताओं को उधारकर्ता के एकाधिक निदेशकों और गारंटरों की रिपोर्ट करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्णकालिक निदेशक के अलावा स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक सहित अन्य निदेशक को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
- सरकारी उपक्रमों के मामले में अध्यक्ष/निदेशक आदि का नाम देने के स्थान पर _____ सरकार का उपक्रम' शब्द का प्रयोग करें।
- वाद दाखिल करने तथा गैर-वाद दाखिल करने के लिए अलग-अलग फाइलें प्रस्तुत की जाएंगी।